

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-523/2023/8-3099/621/2022
लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन जारी विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022 के उपबन्धों के अधीन, लोक सुविधाओं यथा सड़क, पार्क, खुले क्षेत्र आदि के विकास हेतु भू-स्वामी द्वारा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में निष्पादित, दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-523(1)/2023/8-3099/621/2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि:-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या-523/2023/8-3099/621/2022 को दिनांक 28.03.2023 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराते हुए 5-5 प्रति समस्त संबंधित को तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव


संख्या-523(2)/2023/8-3099/621/2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना के अनुपालन हेतु अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
7. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

10. महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश।
11. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
12. उपाध्यक्ष, समस्त विकास, प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
15. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
16. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



18.3.23
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव